(ङ) क्या सरकार ने देश में ही उत्पादित कच्चे तेल तथा आयातित कच्चे तेल के मूल्यों को देश में समान-स्तर पर लाने के लिये कराधान ढांचे में परिवर्तन करने का निर्णय किया है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) से (घ) सरकार ने वर्ष 1994-95 के लिए स्वदेशी क्रूड की उत्पादन लागत का अभी तक निर्धारण नहीं किया है ।

(ङ) और (च) कच्चे पेट्रोलियम तेल पर 35 प्रतिशत आधारभूत सीमा शुल्क लगता है और इस पर काउन्टरवेलिंग शुल्क नहीं लगता । इस पर उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट है और तेल उद्योग विकास अधिनियम के अंतर्गत इस पर 900 रुपए/मी० टन का उपकर लगता है । वर्तमान समय में कच्चे पेट्रोलियम तेल पर सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में परिवर्तन करने के लिए कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

तेल शोधक कारखानों के बारे में गांगुली समिति की सिफारिश

8052. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांगुली समिति ने सरकार से सिफारिश की है कि वर्तमान में देश में कार्यरत तेल शोधक कारखानों में अपनाई जा रही तकनीक में परिवर्तन करने की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि देश में उचित तेल शोधन व्यवस्था न होने के कारण देश में उत्पादित कच्चे तेल का परिष्करण विदेशों में कराया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों अर्थात् 1992-93 से 1994-95 के दौरान देश में उत्पादित कितने कच्चे तेल का परिष्करण विदेशों में कराया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) और (ख) समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट अभी प्रस्तुत नहीं की है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

देशी और विदेशी तेल शोधक कारखानों में उत्पादन लागत

8053. **श्री राम जेठमलानी :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कार्यरत तेल शोधक कारखानों के कार्य संचालन में व्यापक सुधार करने की आवश्यकता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विश्व के दूसरे देशों में तेल शोधक कारखानों में आने वाली उत्पादन लागत की तुलना में हमारे देश के तेल शोधक कारखानों की उत्पादन लागत अधिक है ;

(ग) यदि नहीं, तो देश में और विदेशों में कार्यरत तेल शोधक कारखानों की औसत उत्पादन लागत अंतर्राष्ट्रीय आधार पर कितनी है ;

(घ) क्या स्वदेशी तेल शोधक कारखानों की उत्पादन लागत कम करने के लिए सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और इस पर कुल कितनी अतिरिक्त राशि खर्च होने का अनुमान है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) से (ङ) वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 (अनंतिम) के दौरान भारतीय रिफाइनरियों का क्षमता उपयोग क्रमशः 102 प्रतिशत तथा 106 प्रतिशत था । आरेखन तथा क्रूड मिक्स आदि के आधार पर उत्पादन लागत रिफाइनरी दर रिफाइनरी बदलेगी तथा इस प्रकार ये तुलनीय नहीं है । रिफाइनरियों के कार्यकलाप में सुधार एक सतत प्रक्रिया है तथा रिफाइनरियां इस दिशा में आवश्यक उपाय कर रही हैं । अतएव इन परियोजनाओं में लगी राशि की मात्रा बताना संभव नहीं है क्योंकि यह आरम्भ की गयी परियोजनाओं पर निर्भर करेगी ।

तेल कम्पनियों द्वारा डीलरों को डीजल तथा पेट्रोल की आपूर्ति न किया जाना

8054. श्री अकबरराम जायसवाल :

श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की चारों बड़ी तेल कम्पनियां अपने डीलरों से लिये गए मूल्य के बराबर उन्हें पेट्रोल तथा डीजल की आपूर्ति नहीं करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तेल कंपनियां अपने डीलरों के साथ ऐसा व्यवहार किस आधार पर करती है और इस संबंध में सरकार इन तेल कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ;

(ग) ये तेल कंपनियां अपने डीलरों के साथ ऐसा व्यवहार कब से करती आ रही हैं और इस अवधि के दौरान डीलरों को इस कारण कितना नुकसान हुआ है;

(घ) क्या सरकार डीलरों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति करेगी और चारों तेल कंपनियों द्वारा डीलरों को उनके दाम के बराबर डीजल, पेट्रोल की आपूर्ति करने के लिए उन्हें कोई निर्देश जारी करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त निर्देश क्या हैं और वे कब तक जारी कर दिये जाएंगे, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) से (ङ) चार तेल विपणन कंपनियां सामान्यतया अपने डीलरों से ली गयी समूची राशि के लिए उन्हें डीजल एवं पेट्रोल की आपूर्ति करती हैं । इक्का-दुक्का मामलों में यदि डीलर को आपूर्ति की गयी मात्रा टैंक ट्रक की क्षमता के आधार पर निर्दिष्ट मात्रा से थोड़ा कम अथवा अधिक होती है तो आगामी आपूर्तियों में उसका समायोजन कर दिया जाता है ।

Placing of orders by Oil India Limited with the private sector

8055. SHRI GHUFRAN AZAM : Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Oil India Limited has been placing orders for supplies of varios require-ments to private sector, despie lower prices quoted by the public sector in the tenders;

(b) whether the Oil India Limited has recently placed orders for safety boots/safety shoes to some private industries and not on Government Undertakings;

therefor so *the* facts and the reasons therefor; and

(d) what action is being taken to ensure that public sector undertakings do get orders for supplies for the Oil India Limited?